न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर) राज.

व इजलास राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस

1 मु.सं. 04/2015 रेफ्रेन्स,

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

कृष्णमोहन पुत्र गुरूदयाल प्रसाद कॉम वैश्य निवासी जुरहरा तहसील कांमा(भरतपुर)

..... अप्रार्थी

2 मु.सं. 05/2015 रेफ्रेन्स,

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

मृतक महावीर प्रसाद वगै0 वारिसान 1/1 त्रिलोकचन्द 1/2 नरेश 1/3 नानक 1/4 सतीश 1/5 पवन पिसरान महावीर प्रसाद जैन कॉम वैश्य निवासी जुरहरा तहसील कांमा(भरतपुर)

..... अप्रार्थीगण

3 मु.सं. 06/2015 रेफ्रेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

चन्द्रप्रकाश पुत्र गुरूदयाल कौम वैश्य सा0जुरहरा तहसील कामां जिला भरतपुर (राज.)

..... अप्रार्थीगण

4 मु.सं. 07/2015 रेफ्रेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश 2. मुंशीलाल 3. सुरेश चन्द पिसरान प्रेमचन्द उर्फ भोलाराम कौम वैश्य सा0जुरहरा तहसील कामां जिला भरतपुर (राज.)

..... अप्रार्थीगण

5 मु.सं. 08/2015 रेफ्रेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

1. अनिलकुमार 2. सुनील कुमार पिसरान जगमोहन 3. रामकिशोर 4. विष्णु कुमार पिसरान लच्छीराम 5. लता पत्नी रामबाबू 6. मायादेवी वेवा श्रीचन्द 7. चन्द्रवती जोजे वृजमोहन उर्फ बृजेश कुमार 8. कान्तादेवी पत्नी कृष्णमोहन 9. चन्द्रप्रकाश पुत्र गुरूदयाल प्रसाद कौम वैश्य सा0जुरहरा तहसील कामां जिला भरतपुर (राज.) तोताराम वगै0 1/10 में से 1323 वर्गमीटर

..... अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर(राज0)

.... प्रार्थी

बनाम

1कृष्णमोहन पुत्र गुरूदयाल कौम वैश्य निवासी जुरहरा तह0 कामां जिला भरतपुर (राज.)

..... अप्रार्थी

रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 232 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 व बाके ग्राम जुरहरा तहसील कामा जिला भरतपुर,

अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय

दिनांक : 30.03.2017

उक्त सभी छः रेफ्रेन्स आ0ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम जुरहरा तहसील कामां में स्थित आराजी से सम्बन्धित हैं इसलिए उक्त छः (06) रेफ्रेन्सों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है। विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार कामां द्वारा उक्त रेफ्रेन्स इस आशय के पेश किए हैं कि आराजी ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा की किस्म जमीन गै0 मु0 चारागाह दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार उपर्युक्त सार्वजनिक हित की भूमियों पर खातेदारी डिक्री नहीं दी जा सकती है। उक्त भूमि का खातेदारी का नामा0 संख्या 1006 दर्ज हुआ है। जो नियमानुसार अवैध होने से खारिज योग्य है। विवाद ग्रस्त आ0 ख0 नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा किस्म जमीन चारागाह नामा0 1006 जमा0 सं0 2024–2027 खाता सं0 91 पर दर्ज हुई। इसके बाद आराजी विरासत/बयनामा के आधार पर नामा0 सं0 1363, 2612, 1060, 360, 431, 248, 417, 426, 1541, 1596, 1597, 1944, 1362, 2684, 309, 310, 311, 326, 327, 390, 248, 412, 428 वाके ग्राम जुरहरा तह0 कामां से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई उक्त आराजी की डिक्री/बयनामा आबादी परिवर्तन नियम विरूद्ध होने से उसके आधार पर दर्ज नामा0 सं0 1006 अवैध है एवं इसके बाद दर्ज नामा0 स्वतः ही नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण अब्दुल रहमान वनाम राजस्थान सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस प्रकार की सार्वजनिक भूमियों पर हुए आवंटन/ खातेदारी को निरस्त कराने हेतु रेफ्रेन्स किए जाने के निर्देश दिए हैं। आराजी पर हो रही खातेदारी निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि गैर मु0 भूमि जिसका नामा0 संख्या 1006 दर्ज हुआ एवं उसके बाद में इस भूमि के सम्बन्ध में दर्ज नामा0 सं0 1363, 2612, 1060, 360, 431, 248, 417, 426, 1541, 1596, 1597, 1944, 1362, 2684, 309, 310, 311, 326, 327, 390, 248, 412, 428 वाके ग्राम जुरहरा तह0 कामां नियम विरूद्ध होने से निरस्त कराने एवं इसके आधार पर दर्ज वर्तमान इन्द्राज को निरस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

कराने तथा भूमि को पूर्ववत रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु रेफ्रेन्स को स्वीकार कर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर भेजा जावे।

रेफ्रेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आए। इनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी तहसीलदार कांमा द्वारा प्रस्तुत रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र कतई गलत तरीके पर झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कानून के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत अप्रार्थीगणों को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किए गए हैं। जो खारिज किए जाने योग्य हैं। विवादित खसरा नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम जुरहरा तह0 कामां जिला भरतपुर कभी भी किस्म चारागाह की आराजी नहीं रही है और ना ही उक्त आराजी कभी भी ग्रामवासीयान ग्राम जुरहरा के चारागाह के उपयोग में आई है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी कभी भी चारागाह दर्ज रिकॉर्ड नहीं रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही दीवान भगवानदास द्वारिकाप्रसाद, श्यामलाल व अन्य जातियान वैश्य निवासी ग्राम जुरहरा के खुदकाश्त की आराजी थी। जिसे सम्वत् 2013 में अप्रार्थीगण कृष्णमोहन, चन्द्रप्रकाश के पिता श्री गुरूदयाल प्रसाद लगान अदा करने की शर्त पर काश्त करने के लिए दे दी थी। जिसके बाद से उक्त आराजी पर उक्त गुरूदयाल प्रसाद काबिज व हैसियत खातेदार काश्तकार रहे हैं। गुरूदयाल प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अदालत उपखण्ड अधिकारी डीग के न्यायालय में एक दावा वावत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कामां एवं भगवानदास वगै0 पेश किया। जिसे बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अदालत उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.03.1966 से गुरूदयाल प्रसाद के हक में डिक्री पारित कर जरिए नामा0 सं0 1006 वाके ग्राम जुरहरा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के इन्द्राज दर्ज किए गए। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। उक्त डिक्री आज तक प्रभावी है। तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत रैफ0 प्रार्थना पत्र नामा0 सं0 1006 या इनके बाद विरासत/वयनामा से दर्ज नामा0 के विरूद्ध रैफ0 पेश नहीं किया जा सकता है। जब तक कि मूल आदेश प्रभाव में है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे 2016 पेज 491 पर प्रतिपादित किया है। विवादित आराजी की किस्म चारागाह नहीं रही है तथा ना ही कभी चारागाह के उपयोग में आई है। कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी विवादित आराजी की बिना किसी विधिवत आदेश के चारागाह दर्ज नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिनांक 29.03.1963 को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा कोई भी विधिवत आदेश विवादित आराजी को चारागाह दर्ज किए जाने का जारी नहीं किया। विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र उनवानी फतेहचन्द वगै0 बनाम जगमोहन वगै0 रेफ्रेन्स सं. 1/2007 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2007 को विस्तृत निर्णय पारित किया गया। रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 के विरूद्ध एक अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

अर्न्तगत धारा 223 आर.टी.एक्ट ग्राम पंचायत जुरहरा द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील सं0 296/1966 पेश की थी। उक्त अपील दिनांक 06.03.1967 को अद्म हाजरी अद्म पैरवी में खारिज की गई तथा ग्राम पंचायत जुरहरा द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी डीग में निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 को शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जाने हेतु पेश किया गया था। उक्त दावा दिनांक 25.02.1974 को अदालत उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा वादी के नो– इन्ट्रक्शन प्लीड करते हुए खारिज किया गया है। वर्तमान में भी उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.1966 किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष एक अपील उनवानी हुकम सिंह बनाम जगमोहन लम्बित है। उक्त अपील में राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कामां रैस्पो0 सं0 11 के रूप में स्थापित है। इसलिए यह रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र मन्टेनेवल नहीं है। खारिज किए जाने योग्य है। सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.1966 को पारित की गई डिक्री में तहसीलदार कामां प्रतिवादी सं0 1 के रूप में प्रतिस्थापित थे। जिन्होंने दावा की कार्यवाही में उपस्थित होकर अपना जबाब दावा भी प्रस्तुत किया था। उसके बाद तनकीयात कायम की जाकर उक्त निर्णय व डिक्री गुरूदयाल प्रसाद के हक में पारित की गई थी। यदि तहसीदार कामां को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 से कोई परिवेदना थी तो उन्हें विधिक समयावधि में सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन तहसीलदार कामां द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई। अब वर्ष 2015 में कतई गलत तरीके से विधिक प्रावधानों के विपरीत यह रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। लगभग 51 वर्ष पश्चात पेश किए हैं। जोकि असाधारण बिलम्ब की श्रेणी में आते है। जिसकी कानून कतई इजाजत नहीं देता है। इसी नामा0 सं0 1006 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर में उनवानी अपील हुकम सिंह वगै0 बनाम जगमोहन वगै0 अपील सं0 46/2007 पेश की थी। जोकि रिविजन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है इसलिए अब पुनः नामा0 सं0 1006 के विरूद्ध यह रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। पूर्व में प्रस्तुत रेफ्रेन्स उनवानी फतेहचन्द वगै0 बनाम जगमोहन वगै0. को दि0 20.06.2007 के द्वारा खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध उक्त फतेहचन्द वगै0 द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 221 सं0 6255/2007 पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत आपत्ती पेश की, जो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किया गया। जिसकी अप्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटीशन सं0 12222/2012 पेश की जो स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2012 की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई। इसके बाद से न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2007 प्रभावी है। विवादित आराजी खसरा नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा में से कुछ आराजियात जरिए रजिस्टर्ड बयनामा से बेचान किया जा चुका है। इसके अलावा विवादित आराजी में से कुछ आराजीयात का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

व्यावसायिक व आवासीय भू'संम्परिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में सम्परिवर्तित भूमि का कानूनन रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र मन्टेनेवल नहीं है। विवादित आराजी एंव सम्बन्धित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 के विरूद्ध माननीय जिला न्यायधीश भरतपुर के समक्ष एक दावा उनवानी हुकमसिंह वगै0 बनाम जगमोहन वगै0 बावत निरस्त किए जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 मुकदमा सं0 46/16 लम्बित है। इसलिए भी यह रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन मन्टेनेवल नहीं है। अतः उक्त जबाव प्रार्थना पत्र रेफ्रेन्स पेश कर निवेदन है कि रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज फरमाए जावें।

पैरोकार सरकार व वकील अप्रार्थीण की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया है तथा कहा है कि न्यायालय एस.डी. ओ. डीग द्वारा चारागाह की भूमि की डिक्री की गई है। जोकि प्रार्थीगणों के द्वारा मिलीभगत कर ली गई तथा इसी डिक्री दिनांक 09.03.1966 के आधार पर ही नामा0 सं0 1006 दर्ज हुआ है तथा 1006 नामा0 के बाद के नामा0 जो दर्ज हुए हैं वह भी खारिज योग्य हैं। नामा0 सं0 1006 चारागाह का ही खारिज योग्य है,तो उसके बाद के नामा0 भी स्वतः ही खारिज योग्य हैं। अतः रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। तहसीलदार कांमा ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015 डी.एन.जे.(Rev.) पेज 105 पेश किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 9.03.1966 को जो डिक्री पारित की गई है। उसमें तहसीलदार कामां प्रतिवादी सं0 1 बनाया गया है। तहसीलदार कामां ने अपना जबाब पेश किया है तथा जबाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई हैं। यदि तहसीलदार कामां को उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय दिनांक 09.03.1966 की बावत कोई वेदना थी तो वह उसी समयावधि में अपील कर सकते थे। उन्होंने सक्षम न्यायालय में निर्धारित समय में कोई अपील पेश नहीं की है। अब करीब 51 वर्ष बाद रेफ्रेन्स प्रार्थन पत्र पेश किया है। जोकि बहुत ही असाधारण समय के बाद पेश किया है। असाधारण बिलम्ब की विनाय पर ही रैफ्रेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में नामान्तरकरण संख्या 1006 के विरूद्व अपील/ निगरानी मु0 सं0 निगरानी/एलआर/4750/07/भरतपुर/ व उनवानी जगमोहन वगै0 बनाम हुकम सिंह वगै0 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 09.03.1966 डिक्री न्यायालय उपखण्डाधिकारी डीग के विरूद्व अपील मु0 सं0 16/2007 व उनवानी हुकम सिंह बनाम जगमोहन वगै0 भी वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में रैफ्रेन्स प्रस्तुत ही नहीं किए जा सकते। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 491, आर.बी.जे.2011 पेज 44, आरआरडी 1993 पेज 390, आरआरडी 1995 पेज 292, आरआरडी 2002 पेज 1275, आरआरडी 1996 पेज 120, आरएलडब्ल्यू 2010 पेज 639, आर.आर.डी. 1994 पेज 193, आरआरडी 2010 पेज 552 प्रस्तुत किए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

मुख्यतः सभी रेफ्रेन्स प्रकरण आराजी ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा की आराजी से ही सम्बन्धित होने के कारण इनका निर्णय एक साथ ही किया जाना उचित पाते हैं। पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस पर भी मनन किया तथा पत्रावलियों में प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकॉर्ड हाल जमावन्दी सम्वत 2069–72 वाके ग्रांम जुरहरा के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0 नं0 2119/0.48 पर गैरमुम0 आबादी, 0.37 बंजर कदीम, 0.11 कृष्णमोहन पुत्र गुरूदयाल प्रसाद कौम वैश्य सा0देह खातेदार के अंकन हैं। आ0ख0नं0 2119/5 रकवा 0.10 पर गैरमुम0 आबादी, 0.07 बंजर कदीम, 0.03 पर महावीर प्रसाद, सागरचन्द पिसरान चिरंजीलाल 1/2 हिस्सा मायादेवी, मिश्रादेवी पुत्रियान चिरंजीलाल व हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा कौम वैश्य सा0देह खातेदार के अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में आराजी खसरा नं0 2119/3571 रकवा 0.37, बंजर कदीम 0.16, गैरमुम0 वाणिज्य 0.21 पर चन्द्रप्रकाश पुत्र गुरूदयाल कौम वैश्य सा0देह खातेदार के अंकन हैं। आराजी ख0 नं0 2119/2 रकवा 0.25 गैरमुम0 आबादी पर ओमप्रकाश, मुशीलाल, सुरेशचन्द पिसरान प्रेमचन्द उर्फ भोलाराम व हिस्सा बराबर कौम वैश्य सा0देह खातेदार के अंकन हैं तथा नकल जमा0 सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय में आराजी ख0नं0 2119/3 रकवा 1–63 पर गैर मुम0 आवादी 0.28 बंजर कदीम, 1.35 पर अनिल कुमार, सुनील कुमार पिसरान जगमोहन व हिस्सा बराबर 1/4, हिस्सा तोताराम, रामकिशोर, विष्णुकुमार पिसरान लच्छीराम हिस्सा बराबर 1/10 हिस्सा लक्ष्मी देवी पत्नी रामबाबू, 1/10 हिस्सा मायादेवी बेवा सुरेशचन्द, 1/8 हिस्सा चन्द्रवती जोजे बृजमोहन उर्फ बृजेश कुमार 1/8 कान्ता देवी स्त्री कृष्णमोहन, 1/4 चन्द्रप्रकाश पुत्र गुरूदयाल प्रसाद, 1/20 कौम वैश्य सा0देह खातेदार गैरमुम0 आबादी मिनजानिव तोताराम वगै0 1/10 में से 1323 वर्गमीटर के अंकन हैं तथा नकल जमा0 सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय में आराजी ख0नं0 2119/3570 रकवा 0.37 पर बंजर कदीम 0.09 गैरमुम0 वाणिज्य 0.28 पर कृष्णमोहन पुत्र गुरूदयाल कौम वैश्य सा0देह खातेदार के अंकन हैं। नकल जमा0 सम्वत् 2016 से 2019 वाके ग्राम जुरहरा के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी खसरा नम्बर 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा बंजर जदीम/बंजर कदीम के अंकन हैं तथा कॉलम संख्या 4 में भगवानदास मु.खेवट नं0 1 चौथाई, द्वारिकाप्रसाद वल्द श्रीलाल चौथाई, श्यामलाल वल्द रघुनाथ प्रसाद चौथाई, मुस्म0 लक्खो मुस्म0 खेवट नं0 4 चौथाई के अंकन हैं तथा कॉलम सं0 5 में मक0 मालिकान का खुदकाश्त मालिकान के अंकन हैं। आगे कॉलम सं0 16 में नोट अंकित है कि नोट व हुकुम श्रीमान् महोदय कलक्टर साहब भरतपुर 2119/20 बीघा 16 विस्वा चारागाह घोषित हुआ। नकल खसरा टीप मौजा जुरहरा सम्वत् 2001 से 2004 के अनुसार आ0ख0नं0 2119 के रकवा 20 बीघा 16 विस्वा बंजर कदीम के अंकन हैं। जिसमें काश्त मकबूजा मालिकान के अंकन हैं तथा इसी प्रकार के अंकन खसरा टीप मौजा जुरहरा के सम्वत 2005 से 2008 तक के अंकन हैं तथा जमा0 सम्वत् 2024 में आ0ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा बंजर कदीम पर गुरूदयाल वल्द छज्जूराम कौम बैश्य सा0देह खातेदार के अंकन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

हैं। नकल नामा0 सं0 1006 के अवलोकन से प्रकट है कि कॉलम सं0 5 में सिवायचक दर्ज है तथा कॉलम सं0 6 में 2119/20 बीघा 16 विस्वा बंजर कदीम चारागाह के अंकन है। कॉलम सं0 11 में गुरूदयाल प्रसाद पुत्र छज्जूराम कौम वैश्य सा0 जुरहरा खातेदार के अंकन हैं। कॉलम सं0 12 में 2119/20 बीघा 16 विस्वा के बंजर कदीम के अंकन हैं। कॉलम सं0 14 में खातेदारी के अंकन हैं। उक्त नामा0 एसडीओ डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.1966 की पालना में दर्ज कर स्वीकृत हुआ है। नकल जमावन्दी सम्वत् 1982 सियासत भरतपुर के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0 नं0 2119/20 बीघा 16 विस्वा पर कॉलम सं0 4 में भगवानदास वगै0 मज0 के अंकन हैं तथा कॉलम 5 में मक0 मालिकान मजकूर के अंकन हैं। आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज है। नकल जमा0 ढालबांच मौजा जुरहरा सम्वत् 2000 के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा बंजर कदीम पर भगवानदास वगै0 मालिकान के नाम के अंकन हैं।

उक्त रेफ्रेन्स प्रकरण तहसीलदार कांमा द्वारा आराजी ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा की किस्म चारागाह दर्ज होने के कारण उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 09.03.1966 की पारित डिक्री व उक्त डिक्री की पालना में दर्ज हुए नामा0 1006 व उसके बाद के दर्ज नामा0 के बावत रेफ्रेन्स प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्यतः हमें आराजी की किस्म चारागाह एवं रैफ्रेन्स प्रस्तुत करने की समयावधि को ही देखना है। पत्रावलियों में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट है कि सम्वत् 1982 में आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज है तथा उसके बाद के जमा0 व खसरों में भूमि आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज रिकॉर्ड है। मात्र जमा0 सम्वत् 2016 से 2019 के कॉलम सं0 16 में नोट अंकित है कि व हुक्म कलक्टर साहब भरतपुर के हुक्म नं0 2010 दिनांक 29.03.1963 को आराजी ख0नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा को चारागाह घोषित किया। उक्त नोट के अलावा रिकॉर्ड में कहीं भी चारागाह दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। विवादित आराजी सम्वत् 2012 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही भगवानदास वगै0 जातियान वैश्य निवासियान जुरहरा के खुद काश्त की आराजी थीं। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.03.1966 से गुरूदयाल प्रसाद को डिक्री पारित की गई है। उक्त डिक्री की पालना में नामा0 सं0 1006 दर्ज होकर स्वीकृत किया गया। उक्त डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में चैलेंज भी हो चुकी है तथा निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं हुई है। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित डिक्री 09.03.1966 व इसकी पालना में नामा0 सं0 1006 के विरूद्ध उक्त रेफ्रेन्स करीब 51 साल बाद पेश किए गए हैं। जोकि एक असाधारण बिलम्ब की श्रेणी में ही आता है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी व खसरों में आराजी ख0 नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा की किस्म बंजर कदीम होने की स्थिति में एवं डिक्री दि. 09.03.1966 के करीब 51 साल बाद रेफ्रेन्स पेश करने को सही नहीं माना जा सकता है। निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.1966 के विरूद्ध प्रकरण उनवानी हुकम सिंह वगै0 बनाम जगमोहन वगै0 माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय भरतपुर में विचाराधीन है तथा निर्णय व डिक्री दि 09.03.1966 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में हुकमसिंह वगै0 बनाम जगमोहन वगै0 विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रकट है कि वाके ग्राम जुरहरा तह0 कामा की आराजी ख0 नं0 2119 रकवा 20 बीघा 16 विस्वा की किस्म सम्वत 1982 में बंजर जदीद/बंजर कदीम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0 टीप सम्वत् 2000–2004 व 2005–2008 में भी उक्त आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमा0 सम्वत् 2016 से 2019 के कॉलम सं0 8 में भी आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज है तथा नामा0 सं0 1006 में भी आराजी की किस्म बंजर कदीम दर्ज है तथा किसी भी राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2119 की किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड नहीं है। इसी आराजी से सम्बन्धित प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में नामान्तरकरण संख्या 1006 के विरूद्ध अपील/ निगरानी मु0 सं0 निगरानी/एलआर/4750/07/भरतपुर/ व उनवानी जगमोहन वगै0 बनाम हुकम सिंह वगै0 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 09.03.1966 डिक्री न्यायालय उपखण्डाधिकारी डीग के विरूद्ध अपील मु0 सं0 16/2007 व उनवानी हुकम सिंह बनाम जगमोहन वगै0 भी वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जहां किसी डिक्री के विरूद्ध अपील लम्बित है तो रैफ्रेन्स प्रार्थना पत्र मन्टेनेवल नहीं है। इसकी पुष्टि आर0 आर0डी0 1995 पेज 292 तथा आर0 आर0 डी0 1993 पेज 390 के द्वारा होती है। तहसीलदार कांमा को चाहिए कि उक्त विचाराधीन प्रकरणों में मुकदमा पक्षकार वनकर सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी/पक्ष पेश किया जावे। पूर्व में भी न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,डीग द्वारा दिनांक 20.06.2007 को भी इसी आराजी से सम्बन्धित रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। इसलिए ये रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते है। 3तहसीलदार कामां द्वारा उक्त रेफ्रेन्स काफी विलम्ब से भी प्रस्तुत किये है। जोकि लगभग 51 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये गये है। जबकि डिक्री दि 09.03.1966 में तहसीलदार कांमा प्रतिवादी सं0 1 के रूप में स्थापित था। तहसीलदार कांमा द्वारा प्रस्तुत नजीर एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों के अवलोकन एवं मनन करने के बाद हम यह उचित समझते हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफ्रेन्स काबिले खारिज के हैं।

अतः आदेश है कि :–

तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किए जाते हैं। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज.